केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/365 दिनांक: 09.09.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00362
CICOM/R/2016/01027

अपीलकर्ता : श्री सूरजमाल सिंह सोढ़ा,
माजीसा बास, नवल सागर कुएं के पास,
गवर्मेंट प्रेस रोड,
बीकानेर ।

निर्णय की तारीख : 09.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.07.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	सूचना नहीं दी गई ।
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	------
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	20.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	166921/23.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	504/29.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दाखिल की गई द्वितीय अपील से संबंधित 5 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, अपीलकर्ता ने प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अभियोग लगाया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का उक्त आवेदन सीधे सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा उप-पंजीयक, सेन्ट्रल रजिस्ट्री को ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया, जिसे उप-पंजीयक, सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा, श्री ए. के. तपलात्रा, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय को एवं पुनः श्री ए. के. तलपात्रा द्वारा श्री के.एल.दास, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त – बी.जे. कार्यालय को आनलाइन ट्रांसफर किया गया । परन्तु किसी भी जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई । अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. आवेदन के साथ संलग्न द्वितीय स्मरण पत्र जिस पर डायरी सं. 110445/13.02.2015 अंकित है, की जांच करने पर पाया गया कि उक्त डायरी नं. के संदर्भ में अपीलकर्ता को श्री रघुवीर सिंह, उप-पंजीयक, सेन्ट्रल रजिस्ट्री द्वारा डिफेक्ट मेमो भेजा गया है । अतः श्री यू. सी. जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्व्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना बिंदुवार, पूर्ण व स्पष्ट रूप में प्रदान की जाए, यदि आवश्यक हो तो सूचना से संबंधित अन्य अधिकारियों की सहायता ली जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा
(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री यू.सी. जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री ए.के.तलपात्रा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
4. श्री के.एल.दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।